!! श्री !!

माननीय न्यायालय म.प्र. राजस्व मंडल ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2016 निगरानी

1 द्रोपतिबाई पति अम्बाराम, जाति ब्राह्मण, आयु 48 वर्ष, व्यवसाय–गृहकार्य एवं कृषि, निवासी–ग्राम मालीखेडी, तहसील घटिट्या, जिला उज्जैन

2. अम्बाराम पिता रामचंद्र, जाति ब्राह्मण, आयु 50 वर्ष, व्यवसाय–कृषि, निवासी–ग्राम मालीखेडी, तहसील घटिट्या, जिला उज्जैन

........प्रार्थीगण

विरूद्ध

प्रेमबाई पति गजराजसिंह, जाति–गारी, निवासी–ग्राम ब्राह्मण पिपलिया, तहसील सांवेर, जिला इंदौर, म.प्र. ......प्रतिप्रार्थी

विषय :– धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. के अंतर्गत निगरानी।

माननीय महोदय,

प्रार्थीगण की और से निम्नलिखित निगरानी अवधि में प्रस्तुत है :–

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 2807-PBR/16 जिला उज्जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-10-16	आवेदिका क्र. 1 के पति अम्बाराम उप. अनावेदक की ओर से श्री वेदप्रकाश शर्मा, अधि. द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। तर्क सुने गये। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 5-8-2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अंतिम प्रकृति का आदेश पारित किया गया है, जो कि अपीलीय आदेश है। अपीलीय आदेश के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत अपील प्रतिबंधित है अतः यह निगरानी विधि के प्रावधानों के अनुकूल प्रस्तुत नहीं होने से निरस्त की जाती है। (हस्ताक्षर) अध्यक्ष	(हस्ताक्षर) दि. 21/10/16 (वेदप्रकाश शर्मा) अनावेदक